



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

No.- NCST/DEV-179/CG/3/2021-ESDW

Dated: 12.07.2022

सेवा में,

1. श्री नीलम नामदेव एक्का,
सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
छत्तीसगढ़
ई-मेल- revenue.cg@nic.in
2. श्री रितेश कुमार अग्रवाल,
जिला कलेक्टर, जशपुर,
जशपुर,
छत्तीसगढ़- 496331
ई-मेल- jashpur.cg@gov.in

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम पर जाना जाता है, उन पिछड़ी कोरवाओं की जीविका का एकमात्र साधन उनकी कृषि भूमियों को विधि विरुद्ध ढंग से रजिस्ट्री कराने हेतु तथा उन्हें भूमिहीन कर एकमात्र जीविका के साधन को छीन कर उन्हें कुपोषित कर भूखे मारने की स्थिति में छोड़ने की शिकायत एवं आवश्यक कार्रवाई किये जाने बाबत।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक समन दिनांक 12.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करें।

आपको सूचित किया जाता है कि मामले में आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक द्वारा दिनांक 20.07.2022 को 11.00 बजे सिटिंग निर्धारित की है। चूकवश समन में सिटिंग का समय 04.00 बजे टाईप हो गया है। अतः उक्त सिटिंग के समय को पूर्वाह्न 11.00 बजे ही पढा जाए।

भवदीय

न्यायालय अधिकारी

एस. पी. मीना/S. P. MEENA
उप निदेशक/Deputy Director
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रति सूचनार्थ-

श्री गणेश राम भगत,
राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय
जनजाति सुरक्षा मंच, बांकी टोला,
जशपुर नगर, जिला- जशपुर (छत्तीसगढ़)